राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार – 2018
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ
कैम्प ग्राम पंचायत बागोरिया की ढाणी

राजस्व वाद संख्या 06/2018 81

1. गजेन्द्रसिंह
2. प्रहलादसिंह
3. रामरतनसिंह
4. सुरेन्द्रसिंह पुत्रान महेन्द्रसिंह उर्फ लादूसिंह
5. उम्मेदकंवर पत्नी महेन्द्रसिंह उर्फ लादूसिंह
6. चांदकंवर पुत्री महेन्द्रसिंह उर्फ लादूसिंह जाति राजपूत निवासी देवीपुरा तहसील नवलगढ

–वादीगण

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार नवलगढ

–प्रतिवादी

दावा बाबत : घोषणार्थ व रिकार्ड दुरूस्ती

निर्णय

निर्णय दिनांक 14.06.2018

वादीगण द्वारा राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार शिविर ग्राम पंचायत बागोरिया की ढाणी में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम देवीपुरा में वादीगण की भूमि ख.न. 356/0.84, 357/0.73, 360/1.67, 361/0.89, 366/0.83 किता 5 कुल रकबा 4.96 है0 में हिस्सा 1/4 के खातेदार काश्तकार हैं। वादीगण के पति व पिता का नाम सही महेन्द्रसिंह पुत्र उगमसिंह है परन्तु राजस्व रिकार्ड में लादूसिंह पुत्र उगमसिंह दर्ज रिकार्ड है। लादूसिंह के फौत होने पर विरासतन नामा0 सं0 में वादीगण के वल्दियत लादूसिंह ही नाम दर्ज हो गई जो गलत है। वादीगण गजेन्द्रसिंह, प्रहलादसिंह के मतदाता परिचय पत्र तथा रामरतनसिंह व सुरेन्द्रसिंह के आधार कार्ड में तथा पत्नी उम्मेदकंवर के मतदाता के परिचय पत्र में पिता का नाम महेन्द्रसिंह दर्ज है। रजिस्ट्रार ग्राम पंचायत चिराना द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 26.03.2010 में वादीगण के पिता का नाम महेन्द्रसिंह उर्फ लादूसिंह पिता उगमसिंह निवासी वार्ड न. 8 देवीपुरा दर्ज किया गया है। वादीगण के पति व पिता के पीपीओ में महेन्द्रसिंह नाम अंकित है। तथा वादीगण के पिता व पति के मतदाता पहचान पत्र में नाम महेन्द्रसिह पुत्र उगमसिंह तथा वादीगण की माता उम्मेदकंवर के पति का नाम महेन्द्रसिह नाम दर्ज है। अतः उपरोक्त दस्तावेजात से वादीगण के पिता व पति का नाम का सही नाम महेन्द्रसिह पुत्र उगमसिंह है। अतः राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता का नाम लादूसिंह नाम दर्ज किया गया है जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। वादीगण के तमाम दस्तावेजात में वादीगण के पिता व पति का नाम महेन्द्रसिह नाम दर्ज है।

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पिता का नाम लादूसिंह पुत्र उगमसिंह के स्थान पर महेन्द्रसिंह पुत्र उगमसिंह जाति राजपूत निवासी देवीपुरा दुरूस्त कर वादीगण के पिता व पति का नाम महेन्द्रसिंह की घोषणा की जावे।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर ग्राम पंचातय बागोरिया की ढाणी में पेश हुई। पक्षकार उपस्थित हुये। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया तथा उनके बयान लिये गये तथा तहसीलदार नवलगढ से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार नवलगढ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार वादीगण के पिता व पति के पेंशन पीपीओ आदेश, मृत्यु प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र में महेन्द्रसिह पुत्र उगमसिंह जाति राजपूत दर्ज किया गया है जबकि जमाबंदी ग्राम देवीपुरा संवत 2068 से 2071के खाता सं0 54 में वादीगण के पिता व पति का नाम लादूसिंह दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक दस्तावेज में अंकित लादूसिंह का नाम महेन्द्रसिंह नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाना उचित होना बताया गया है।

उक्त वाद के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा मतदाता पहचान पत्र गजेन्द्रसिंह पिता महेन्द्रसिंह, प्रहलादसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह तथा आधार कार्ड व सीमा सुरक्षा बल द्वारा जारी पहचान पत्र रामरतनसिंह पिता महेन्द्रसिंह, तथा आधार कार्ड सुरेन्द्रसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह, पहचान पत्र एवं आधार कार्ड में श्रीमती उम्मेदकंवर पत्नी महेन्द्रसिंह का नाम अंकित किया गया है। इसके अतिरिक्त वादीगण के पिता व पति

महेन्द्रसिंह की मृत्यु पर जारी मृत्यु प्रमाण पत्र एवं पेंशन आदेश पीपीओ तथा मतदाता पहचान पत्र में महेन्द्रसिह पिता उगमसिंह नाम दर्ज है। इसप्रकार उपरोक्त दस्तावेजात के आधार पर वादीगण के पिता व पति का नाम महेन्द्रसिंह होना प्रमाणित है। अतः ग्राम देवीपुरा की जमाबंदी संवत 2068 से 2071 के भूमि खाता सं0 54 में गजेन्द्रसिंह, प्रहलादसिंह, रामरतनसिंह सुरेन्द्रसिंह पिता लादूसिंह उम्मेदकंवर पत्नी लादूसिंह चांदकंवर पुत्री लादूसिह हि.ब.हि. 1/4 दर्ज रिकार्ड के स्थान पर गजेन्द्रसिंह, प्रहलादसिंह, रामरतनसिंह सुरेन्द्रसिंह पिता महेन्द्रसिंह उम्मेदकंवर पत्नी महेन्द्रसिंह चांदकंवर पुत्री महेन्द्रसिंह हि.ब.हि. 1/4 रिकार्ड में दुरूस्त किया जाना न्यायोचित होने से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है।

आदेश

वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है। ग्राम देवीपुरा की जमाबंदी संवत 2068 से 2071 के खाता सं0 54 के ख.न. 356/0.84, 357/0.73, 360/1.67, 361/0.89, 366/0.83 किता 5 कुल रकबा 4.96 है0 में हिस्सा 1/4 में गजेन्द्रसिंह, प्रहलादसिंह, रामरतनसिंह सुरेन्द्रसिंह पिता लादूसिंह उम्मेदकंवर पत्नी लादूसिंह चांदकंवर पुत्री लादूसिह हि.ब.हि. 1/4 दर्ज रिकार्ड के स्थान पर गजेन्द्रसिंह, प्रहलादसिंह, रामरतनसिंह सुरेन्द्रसिंह पिता महेन्द्रसिंह उम्मेदकंवर पत्नी महेन्द्रसिंह चांदकंवर पुत्री महेन्द्रसिंह हि.ब.हि. 1/4 रिकार्ड में दुरूस्त किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 14.06.2018 को मजमे शिविर ग्रा0पं0 बागोरिया की ढाणी में सुनाया गया।

14/6/18

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बागोरिया की ढाणी
दुर्गा प्रसाद मीना (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

वाद घोषणार्थ, व रिकार्ड दुरूस्ती

मुकदमा सं0:– 06/2018ए (गजेन्द्रसिंह आदि बनाम लैण्ड होल्डर तहसीलदार)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू दुर्गा प्रसाद मीना (आर0ए0एस0), उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी...वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई –वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 14.06.2018 निर्णय अनुसार वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है। ग्राम देवीपुरा की जमाबंदी संवत 2068 से 2071 के खाता सं0 54 के ख.न. 356/0.84, 357/0.73, 360/1.67, 361/0.89, 366/0.83 किता 5 कुल रकबा 4.96 है0 में हिस्सा 1/4 में गजेन्द्रसिंह, प्रहलादसिंह, रामरतनसिंह सुरेन्द्रसिंह पिता लादूसिंह उम्मेदकंवर पत्नी लादूसिंह चांदकंवर पुत्री लादूसिह हि.ब.हि. 1/4 दर्ज रिकार्ड के स्थान पर गजेन्द्रसिंह, प्रहलादसिंह, रामरतनसिंह सुरेन्द्रसिंह पिता महेन्द्रसिंह उम्मेदकंवर पत्नी महेन्द्रसिंह चांदकंवर पुत्री महेन्द्रसिंह हि.ब.हि. 1/4 रिकार्ड में दुरूस्त किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर अमल दरामद किया जावे।

जिन..........–.................... मुबलिग..........–............बाबत......–.................खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह......–.........................फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.............का अदा करे।
बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 14 माह 06 सन 2018. को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी नवलगढ
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	0.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	0.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	00.00	मुतफरिक मिजान	0.00